प्रेषक,

निदेशक,
कोषागार पेंशन एवं हकदारी,
23, लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी,
उत्तराखण्ड

पत्रांक :**234843** /नि0को0पें0ह0/2025 दिनांकः **22** दिसम्बर, 2025

विषय– राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों की एन0पी0एस0 पासबुक में जमा कार्मिक एवं राज्य सरकार के अंशदान के सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 210/ दिनांक 03 जुलाई, 2008, शासनादेश संख्या 643/ दिनांक 11 अगस्त, 2010 एवं शासनादेश संख्या 468/ दिनांक 22 मार्च, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार की सेवा में दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को अथवा उसके पश्चात् आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में व्यवस्था की गयी है।

उक्त के क्रम में निरन्तर संज्ञान में आ रहा है कि कतिपय कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के कई माह बीत जाने के उपरांत अत्यधिक विलम्ब के साथ प्रकरण निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी को प्रेषित किये जाते हैं, जिससे सेवानिवृत्त कार्मिकों के प्रकरणों में भुगतान/निस्तारण की कार्यवाही ससमय नहीं हो पा रही है, जिसके संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या..... दिनांक..... के माध्यम से समस्त विभागाध्यक्षों एवं आहरण–वितरण अधिकारियों को कार्मिकों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के समय ही एन0पी0एस0 पासबुक की जांच/परीक्षण कर कोषागार से सत्यापन करा लेने के उपरांत ही नवीन तैनाती कार्यालय हेतु प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित की गयी है।

शासनादेश संख्या 643/ दिनांक 11 अगस्त, 2010 में उल्लिखित बिन्दु संख्या–5 के अनुसार *''दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को अथवा उसके पश्चात् जिन कार्मिकों के नई अंशदान पेंशन योजना में अंशदान के एरियर की कटौती मैनुअल बिल द्वारा की गयी है, उनका बिलवार (वाउचर, दिनांक व धनराशि) व कार्मिकवार विवरण संबंधित आहरण–वितरण अधिकारी तैयार करेंगे। प्रत्येक बिल से काटी गयी समेकित पूर्ण पेंशन अंशदान की धनराशि का योग कोषागार से सत्यापित कराया जायेगा और यदि यह धनराशि चालान द्वारा जमा की गयी है, तो चालान की धनराशि, चालान संख्या, दिनांक, सी0पी0एस0एन0 व नाम का सत्यापन संबंधित कोषागार द्वारा किया जायेगा।''*

अतः उपरोक्त शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कोषागारों को सत्यापन हेतु प्रेषित की जाने वाली एन0पी0एस0 पासबुकों का सत्यापन ठोस साक्ष्यों के आधार पर उचित परीक्षण करते हुए ससमय निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, चूंकि निदेशालय स्तर पर ऐसी धनराशि जो कार्मिक के वेतन से कटौती हुयी है परन्तु सी0आर0ए0 को प्रेषित नहीं है का भुगतान कोषागार के सत्यापन के अनुसार ही किया

File No. DTPE-NPS075/20/2024-नि.को.पें.ह.-DEPT-TREASURY (Computer No. 62346)
Generated from eOffice by Yogendra Kumar, ACCT-YOGENDRA-DTPE, ACCOUNTANT, DEPT-TREASURY on 22/12/2025 04:17 pm

जाता है। भविष्य में कार्मिकों की अंशदायी पेंशन पासबुक सत्यापित करने से पूर्व पासबुक की भली–भांति जॉच कर ले जिससे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को ससमय भुगतान कराया जाना संभव हो सके।
संलग्नक–यथोपरि।

Digitally signed by Amita Joshi
Date: 18-12-2025 12:08:09

भवदीया,
(अमिता जोशी)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, वित्त अनुभाग–10, उत्तराखण्ड शासन।
3. उप निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
4. कार्यालय प्रति।

(अमिता जोशी)
निदेशक।

File No. DTPE-NPS075/20/2024-नि.को.पें.ह.-DEPT-TREASURY (Computer No. 62346)
Generated from eOffice by Yogendra Kumar, ACCT-YOGENDRA-DTPE, ACCOUNTANT, DEPT-TREASURY on 22/12/2025 04:17 pm